



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 858 / 10 स्तंभ 20
सेवा में,

दिनांक 27/05/2021

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 2456/12-1 दिनांक 14.01.2021
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है:-

क.सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	परिशिष्टि भाग-1 में दिनांक रिक्त है।	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।
2	लैण्ड शैड्यूल में दर्शायी गयी वनभूमि की वैधानिक स्थिति तथा डिजिटल मैप में दर्शायी गयी वनभूमि की वैधानिक स्थिति में भिन्नता है।	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।
3	मोटर मार्ग के डिजिटल मैप में Existing Road दर्शायी गयी है जिसका Google Earth से परीक्षण करने पर उक्त दर्शायी गयी Existing Road में कोई भी मोटर मार्ग पहले से निर्मित नहीं है तथा आपके द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विस्तारीकरण उमट्टा-बरसाली मौणा मोटर मार्ग से बैरफाला-काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित है। मोटर मार्ग का डिजिटल मैप में संशोधन कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है। डिजिटल मैप प्रस्ताव में संलग्न है।
4	प्रारूप 6 संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दिनांक अंकित नहीं की गयी है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शायी गयी प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 3.508 किमी. है जबकि आपके द्वारा प्रस्ताव की कुल लम्बाई 5.00 किमी. दर्शायी गयी है। किमी. में आ रही भिन्नता को स्पष्ट करें तथा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी नहीं हैं।	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।
5	वनाधिकार अधिनियम 2006 में दर्शायी गयी वनभूमि के क्षेत्रफल में भिन्नता है तथा उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग के नाम रिक्त हैं।	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।
6	मक डिस्पोजल प्लान में मक डिस्पोजल हेतु शेष मलबा का आयतन 22962.00 घन मी0 दर्शाया गया है जबकि मक डिस्पोजल साईट सारणी में दर्शायी गयी मक डम्पिंग स्थल का आयतन 18840.00 घन मी0 अंकित है। उक्त 4122.00 घन मी0 मलबे के निस्तारण हेतु अन्य कोई मक डिस्पोजल साईट चयन करें।	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव 4 प्रतियों में प्रेषित।

27.5.21
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग